

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी

जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन- 263146

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्रों पर उत्पादित गेहूँ की फसल को कम्बाईन द्वारा कटाई के उपरान्त खेत में खड़े फसल अवशेष (डन्टल) की बिक्री का कार्य

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या : निविदा शुल्क ₹ 500 प्रति निविदा+18% जी०एस०टी०
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 24.02.2023 से 10.03.2023 तक सांय 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 11.03.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 11.03.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म पर लगभग 250.20 हैक्टेयर भूमि पर उत्पादित गेहूँ की फसल की कम्बाईन द्वारा कटाई के उपरान्त खेत में खड़े फसल अवशेष (डन्टल) की बिक्री

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति एकड़ (अंको में एवं शब्दों में)
1	विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्रों पर उत्पादित गेहूँ की कम्बाईन से कटाई के उपरान्त खेत में खड़े फसल अवशेष (डन्टल) की बिक्री का कार्य	

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ 20,000.00 बैंक ड्राफ्ट नं० दिनांक.....के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

ड्राफ्ट नं०

दिनांक.....

धनराशि ₹

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

ग्राम

पो०.....


तह०.....जनपद.....

पिन.....दूरभाष.....

बैंक का नाम एवं खाता संख्या

आयकर पैन० नं० आधार कार्ड नं०.....

निविदादाता का नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर




विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र पर उत्पादित गेहूँ की कम्बाईन से कटाई के उपरान्त खेत में खड़े फसल अवशेष (डन्टल) की बिक्री का कार्य

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 11.03.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 11.03.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि ₹ 20,000.00 वापसी योग्य का बैंक ड्राफ्ट जो (गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाता) के नाम देय हो जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदादाताओं को गेहूँ के भूसे की ढुलाई आदि के कार्य हेतु समस्त कार्यवाही की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की कोई चल/अचल सम्पत्ति को हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
5. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
6. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति जी को होगा। किसी तरह के विवाद का निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
7. निविदा में व्याखित कार्य कराये जाने एवं न कराये जाने का पूर्ण अधिकार मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म को होगा।
8. सम्बन्धित ठेकेदार को उपरोक्त कार्य कराये जाने वाले प्रक्षेत्र में प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक है।
9. निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0 नं0, पैन नं0, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक का नाम तथा खाता संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
10. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके सगे-सम्बन्धी उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र खरीदने एवं निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे तथा निविदा निर्गत कराते समय इस आशय का पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके कोई सगे-सम्बन्धी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म पर कार्यरत नहीं है।
11. गेहूँ की कटाई के पश्चात् बचे डन्टल के कार्य में प्रयोग की जाने वाली मशीन की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।
12. यदि उपरोक्त निविदाओं पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई कर लगाया जाता है तो उसे सफल निविदादाता द्वारा स्वयं जमा किया जायेगा।
13. यदि उपरोक्त कार्य कम्बाईन से गेहूँ की कटाई के पश्चात् तुरन्त प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह उपरान्त उस क्षेत्रफल को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र में गेहूँ की कटाई के पश्चात् खड़े डन्टल की बिक्री हेतु एक समान दरें स्वीकृत होंगी। हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र हेतु पृथक-पृथक दरें स्वीकार्य नहीं होंगी तथा ऐसी निविदायें स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी।
15. सफल निविदादाता द्वारा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर गेहूँ के डन्टल की सम्पूर्ण धनराशि विश्वविद्यालय फार्म खाते में जमा करायी जायेगी। धनराशि जमा न कराये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता द्वारा जमा सुरक्षा धनराशि को जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 15 तक) पढ़ ली गयी है तथा मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता


मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

निविदा प्रपत्र निर्गत करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर